MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling Attention is only pertaining to the subject matter which you have raised.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: But many things may be asked.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can raise all the relevant points. If information is available, they will furnish; if information is not available, they will not furnish.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Why information is not available?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Are you satisfied with the information given?

MR. DEPUTY-SPEAKER: As far as the Calling Attention is concerned, and whatever information was asked, they have said the defaulted amount they do not know. They have said they will furnish it. That is all. In regard to Calling Attention, I cannot compel them to give the type of reply you want.

———

12.53 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Report request by West Bengal Government for permission of Reserve Bank to set up its own Banking Company.

SHRI MATILAL HASDA: Sir, the West Bengal Government sought the permission of the Reserve Bank of India to set up its own banking company with an authorised capital of Rs. 5 crore, clarifying the background against which the State Government proposed to set up its own bank.

The Commercial Banks were reluctant to give agricultural loans to the poor village people on the ground that the repayments were discouraging. But they did not feel any aversion in the cases of big industrialists they did not repay about Rs. 230 though they did not repay about Rs. 230 crore. The banks in West Bengal lent Rs. 1.39 crores to the share croppers in 1980. The recovery in this case was 40 per cent and it was better than any other State. Still, the commercial banks' role in West Bengal remains disappointing.

Under the circumstances, I urge upon the Finance Minister that the licence to set up the West Bengal Government's bank be granted immediately, and the Minister may give a statement in the House in this regard.

(ii) Reported demolitions by D.D.A. in Preet Nagar Extension Area, Delhi

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : दिल्ली सरकार की नाक के नीचे यमुना पार में डी. डी. ए. (दिल्ली विकास प्राधिकरण) मकानों के तोड़-फोड़ एवं सामानों की लूट का सिलसिला फिर से चालू कर दिया है। विनोद नगर के लोगों के घाव भरने भी नहीं पाये थे कि ठीक उसी के निकट प्रीत नगर एक्सटेंशन के 150 से अधिक मकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। इतना ही नहीं लोगों के सारे सामान उठवा कर ले जाये गये।

होली से पूर्व डी. डी. ए. ने प्रीत नगर एक्सटेंशन के निवासियों के साथ 17 मार्च को जो होली खेली उसके कारण 150 से भी अधिक परिवार दर दर के भिखारी बन गए हैं।

गत चुनाव के समय 1976 से पहले बसी बस्तियों को नियमित करने का नारा दिया गया था पर अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। बलिहारी है वादा करके आसानी के साथ मुकर जाने वालों की।

पटपड़गंज डिपो के साथ ही मण्डावली-फाजलपुर की जमीन पर 6, 7 वर्ष पहले से प्रीत नगर एक्सटेन्सन नामक यह कालोनी बसनी शुरू हुई थी। परन्तु डी.डी.ए. ने उसे उजाड़कर श्मशान बना दिया। लोगों का कहना है कि यह जमीन डी.डी.ए. की नहीं है और अभी तक कोई अधिसूचना नहीं जारी की गयी है।

लोगों का यह भी कहना है कि जिन शक्तिशाली लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन को बेच कर उन पर कालोनियां बना दी हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

यमुना पार के निवासियों का आरोप है कि प्राधिकार में भूमि एवं भवन के नाम पर विशेष सेल के गठन के बाद वास्तविक भूमि चोरों को तो बचाया जा रहा है तथा निर्दोष व्यक्तियों को आतंकित किया जा रहा है । लोगों की मांग है कि इस विशेष सेल की आड़ में की जा रही गैर-कानूनी कार्यवाही और लूट खसोट की जांच की जाय ।

डी.डी.ए. की इस आतंक लीला से यमुना पार की कालोनियों में भय व आतंक व्याप्त है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि वह तोड़ फोड़ रोक कर सभी अनधिकृत कही जाने वाली बस्तियों को नियमित करने, उजाड़ गये परिवारों को बसाने तथा लोगों को मुआवजा देने का आदेश निर्गत करें ।

(iii) Need to declare Jodhpur city as B-2 city for facilities to Central Government Employees.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि जोधपुर शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने हेतु अविलम्ब निर्णय लें क्योंकि यह शहर सभी मापदण्ड पूरे कर चुका है, जो किसी भी शहर को बी-2 श्रेणी प्रदान करने हेतु आवश्यक होते हैं ।

13.00 hrs.

जनसंख्या की दृष्टि से भी इस शहर की जनसंख्या मार्च 1979 के जून माह तक प्राप्त सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख 3 हजार थी, जो वर्तमान में बढ़कर करीब 4 लाख 25 हजार से ज्यादा हो गई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जनसंख्या में रक्षा प्रतिष्ठान (सैनिक, वायु सेना) में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, जो कि अलग से करीब 1 लाख 75 हजार के है ।

जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है ।

अतः वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी-2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दें ।

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned for lunch and will meet at 2 P. M.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five Minutes past Fourteen of the Clock.

(SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377—contd.

(iv) Measures to provide uninterrupted Services by Nationalised Banks.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में देश की जनता ने राहत की सांस ली थी और यह महसूस किया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की भली प्रकार सेवा कर सकेंगे । लेकिन देखने में यह आया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण निजी बैंकों के कार्यकरण से कहीं ज्यादा नीचे गिर गया है ।

बैंक कर्मचारी अपने प्रबन्धकों से किसी भी विवाद के उत्पन्न हो जाने से यदा-कदा हड़ताल पर चले जाने या क्लीयरिंग हाउस का कार्य न करना आदि कठिनाइयां उपस्थित कर देते हैं, जिससे इसका असर बैंक उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग मालिकों पर पड़ता है ।

बैंक कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद उत्पन्न होने से जब बैंक कर्मचारी क्लीयरिंग हाउस का काम बन्द कर देते हैं, उस समय की स्थिति काफी विकट हो जाती है ।

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना): पान के कारण सुनाई नहीं देता है ।